जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय मुख्य अभियंता (वाणिज्य)

क्रं./जडि/मुअ/वा/सी–1/एफ1 (13)/ पार्ट- V/प्रे. 210 दिनांक 02-02-2010
एफ 5(210)Pt 19th

—: आदेश :—

विषयः— "मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना" के अन्तर्गत स्थापित होने वाली औद्योगिक/सेवा ईकाईयों को प्राथमिकता के साथ विद्युत उपलब्ध करवाने के संबंध में ।

राज्य सरकार की "मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना" के अन्तर्गत कुशल श्रमिको, हस्तशिल्पियों, दस्तकारों एवं प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों द्वारा स्थापित औद्योगिक/सेवा ईकाईयों को प्राथमिकता के साथ विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का प्रावधान रखा गया है।

दिनांक 24.12.2009 को समन्वय समिति की 130 वीं बैठक में इन औद्योगिक/सेवा ईकाईयों को प्राथमिकता के साथ विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई तथा समन्वय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि " मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना" के अन्तर्गत स्थापित होने वाली औद्योगिक/सेवा ईकाईयों को प्राथमिकता के साथ विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवायें जाये। इन औद्योगिक/सेवा ईकाईयों को विद्युत कनेक्शन हेतु प्राथमिकता, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जायेगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

आज्ञा से,

(ए.के.शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

E:\MEENA\Order-1.doc

Superintending Engineer (IT & CRP.)